



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए, घटनाएं कारित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 4.5 किलोग्राम तांबे का तार जली अवस्था में, 01 अदद ग्राइंडर मशीन, 01 अदद डील मशीन व 05 अदद चाकू नाजायज बरामद

घटनाओं का विवरण:-

1. दिनांक 08.09.2026 को वादी श्री मशरूर पुत्र अब्दुल मजीद निवासी नयी बस्ती भारत धर्म कांटे के सामने कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर मो0न0 9536918080 की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात खुद की डैन्टर की दुकान की साइड से दीवार उखाडकर जनरेटर से 01 अल्टीनेटर, 01 वैल्विंग मशीन, 02 डील मशीन और 02 ग्रेन्डर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 370/26 धारा 331(4)/305ए बीएनएस पंजीकृत कराया गया।
2. दिनांक 19.09.2026 को वादी श्री रामपाल सिंह पुत्र श्री खेमसिंह निवासी ग्राम अल्लीवाला थाना फतेहपुर सहारनपुर मो0नं0 9761211522 की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात द्वारा वादी की ट्यबैल का लेण्टर तोडकर केविल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 396/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।
3. दिनांक 19.09.2026 को वादी श्री श्री हैप्पी राणा पुत्र विजयपाल निवासी मुसैल थाना फतेहपुर सहारनपुर मो0नं0 9761211522 की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात द्वारा वादी की ट्यबैल का लेण्टर तोडकर केविल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 398/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर चोरी की घटनाओं का शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **05 शातिर अभियुक्तगण 1. आर्यन पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 2. सौरभ उर्फ टटरी पुत्र जुगवेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 3. अभिषेक पुत्र कुवरपाल निवासी ग्राम भतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 4. मोहित उर्फ काला पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 5. अभिनव पुत्र महावीर निवासी ग्राम भतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर बिजली घर से आगे ग्राम कमालपुर की ओर जाने वाले खडंजे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद ग्राइंडर मशीन व 01 अदद डील मशीन (मु0अ0सं0 370/26 धारा 331(4)/305ए बीएनएस), 4.5 किलोग्राम तांबे का तार (मु0अ0सं0 396/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं0 398/26 धारा 305(ए) बीएनएस) व 05 अदद चाकू बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 331(4) /317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने ग्राम जीवाला स्थित सोलर प्लांट, बेहड़ा स्थित सोलर प्लांट एवं ग्राम अल्लीवाला स्थित सोलर प्लांट की दीवार फांदकर सोलर प्लेटों से वायर चोरी किए तथा दिनांक 16.09.2026 की रात्रि में एक ट्यूबवेल का लेंटर तोड़कर अंदर घुसकर कॉपर केबल चोरी की, दिनांक 06.09.2026 की रात्रि में फतेहपुर भादो स्थित सुपर मार्केट की एक दुकान की दीवार में कुमल कर अंदर घुसकर जनरेटर का अल्टरनेटर, वैल्विंग मशीन, दो डील मशीन एवं दो ग्राइंडर चोरी किए, चोरी किए गए वायर एवं अल्टरनेटर को जलाकर कॉपर निकाला तथा उसका कुछ हिस्सा कबाड़ी एवं अन्य दुकानदारों को बेचकर प्राप्त धनराशि को आपस में बांटकर नशे आदि में खर्च कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. आर्यन पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. सौरभ उर्फ टटरी पुत्र जुगवेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

3. अभिषेक पुत्र कुवरपाल निवासी ग्राम भतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. मोहित उर्फ काला पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. अभिनव पुत्र महावीर निवासी ग्राम भतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 4.5 .किलोग्राम कापर तार जला हुआ
- 01 अदद ग्राइंडर मशीन
- 01 अदद ड्रील मशीन
- 05 अदद चाकू

अभियुक्त अभिषेक का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 75/22 धारा 147/148/149/308/323/324/427/504/506 भादवि थाना फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 160/26 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर

अभियुक्त सौरभ का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 75/22 धारा 147/148/149/308/323/324/427/504/506 भादवि थाना फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मशकूर अली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
7. है0का0 1196 गौरव चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
8. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
9. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
10. रि0का0 776 अभिषेक कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 20.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित
अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10/09/2026 को वादिया मुकदमा द्वारा थाना गंगोह पर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि अभियुक्तकण द्वारा वादी की नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा पुलिस में शिकायत करने पर अभियुक्त गण द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी है। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 432/26 धारा 137(2)/61(2)/351(2) बीएनएस के पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना से अभियोग में धारा 5एल/6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में प्रकरण में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 20/09/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र नसीम निवासी निकट अनारकली मदरसा मौ0 सैय्यदान करबा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को निर्माणाधीन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुजम्मिल पुत्र नसीम निवासी निकट अनारकली मदरसा मौ0 सैय्यदान करबा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- (1) उपनिरीक्षक श्री प्रेमपाल सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (2) का0 921 कपिल कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक- 20.09.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा बिना रॉयली के अवैध खनन सामग्री का परिवहन करते 03
डम्परों (ओवरलोड/अवैध प्रपत्र/बिना नम्बर प्लेट) को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अवैध खनन सामग्री के परिवहन की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 19/20.09.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गन्देवड हथनीकुण्ड व गन्देवड बादशाहीबाग मार्ग से 03 डम्परों को बिना रॉयली के अवैध रूप से खनन परिवहन करते/अवैध खनन सामग्री के **सीज कर थाना परिसर** में खड़ा कराया गया। सम्बन्धित विभाग को प्रकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

सीज वाहनों का विवरण

- 01 डम्पर नं0- HR 58C 7320
- 01 डम्पर UP 14 FT 9494
- 01 डम्पर HR 46E 1614

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. श्री विनोद कुमार श्री थानाध्यक्ष थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर।
4. का0 1666 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
6. का0 2034 राहुल मोतला थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 20.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की स्कूटी
बरामद

घटना का विवरण: -

अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.2026 को वादी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री जगराम सिंह निवासी आनन्द विहार कालोनी सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत वादी की मोटरसाईकिल हीरो होण्डा CD DELUXE UP11W1469 को अज्ञात चोर द्वारा बजाज इंटरनेशनल स्कूल, शारदानगर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 436/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही: -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये, आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर चोर अभियुक्त **कृष्णा उर्फ क्रिश पुत्र सुन्दर लाल निवासी रामघाट कॉलोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को सर्किट हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुई मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डिलेक्स UP11W1469 बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

कृष्णा उर्फ क्रिश पुत्र सुन्दर लाल नि० रामघाट कोलोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डिलेक्स UP11W1469

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 शंशाक गिरि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1215 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 1344 संदीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के
दृष्टिगत 03 अभियुक्तों गिरफ्तार कर चालान किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.09.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **03 अभियुक्तगण 1. मोहसीन पुत्र अब्दुल रज्जाक नि0 फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर , 2. मोहित पुत्र रमेश नि0 ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 3. बबला पुत्र कल्लू नि0 ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को कस्बा छुटमलपुर से शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मोहसीन पुत्र अब्दुल रज्जाक नि0 फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. मोहित पुत्र रमेश नि0 ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. बबला पुत्र कल्लू नि0 ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 1196 गौरव कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 20 - 09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों / शराब तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर की पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर जितेन्द्र उर्फ साहिल पुत्र सेवाराम निवासी मो0 गुर्जर कालोनी कस्बा व थाना खिजराबाद जिला यमुनानगर को मिर्जापुर हथनीकुण्ड बैराज के पास से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का माल्टा बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 304/26 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

जितेन्द्र उर्फ साहिल पुत्र सेवाराम निवासी मो0 गुर्जर कालोनी कस्बा व थाना खिजराबाद जिला यमुनानगर।

बरामदगी का विवरण -

➤ 12 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सोमेन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. रिका0 1477 कपिल कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. रिका0 1456 शुभम मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 20.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 18.9.2026 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त पिन्टू पुत्र सुरेश निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी, मारपीट व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर द्वारा मु0अ0स0 301/26 धारा 75(2)/78(2)/64(1)/115(2)/351(3) बीएनएस व धारा 3/4 व 11/12 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.9.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **पिन्टू पुत्र सुरेश निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को कासमपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

पिन्टू पुत्र सुरेश निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री चरनपाल सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
3. का0 2255 सोनवीर सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 20.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना साइबर क्राइम द्वारा ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गई धनराशि से 03
लाख रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:- दिनांक 09.06.26 को आवेदक/वादी श्री कृष्ण गोपाल शर्मा पुत्र गंगाचरण शर्मा निवासी विष्णुधाम गली नं0-2 माधव नगर जनपद सहारनपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को किसी संस्थान/विभाग का कर्मचारी बताकर रिटायरमेंट बेनिफिट कार्ड बनवाने का लालच देकर वादी के बैंक कस्टमर आईडी व डेबिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर वादी के मोबाइल पर लिंक भेजकर वादी के खाते से 12,76,500/- रुपये धनराशि की ठगी कर लेने के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम सहारनपुर पर मु0अ0सं0 32/2026 अन्तर्गत 318(4), 319(2) बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम श्री जावेद खान के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से 3,00,000/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
2. विवेचक/निरीक्षक श्री पंकज कुमार गौतम, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री नीरज कुमार, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
4. है0कां0 907 नितिन शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।